<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

<u>श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा</u>
<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष</u>

<u>आ. अ. सं. 896/ इंदौर /2019</u>
<u>निर्धारण वर्ष : 2015-16</u>

श्रीमती अनिता गुप्ता, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी, 3 (3), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एआईझेडपीजी 4520 ए		

अपीलार्थी की ओर से	श्री पंकज शाह, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	12.01.2021
उद्घघोषणा तिथि	12.01.2021

<u>आदेश</u>

<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा</u>

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-I, इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) के अधीन पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधार पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती ने कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत आवेदन किया है । अतः

निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने की इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं । हालांकि निर्धारिती आयकर अधिनियम के अनुसार विनिहित अवधि के अंदर विविध आवेदन दाखिल करने हेतु स्वतंत्र होगी यदि आयकर विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 5 जारी नहीं किया जाता है ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 12.01.2021 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(कुल भारत)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 12.01.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल